

27.10.2020 पत्रावली पेशा वकील जयल जयल
उपयुक्त, अग्रार्थी सं. 01 द्वारा जयल
प्रार्थना पत्र ईकवाली पत्र किने
आ पत्रावली के ललंगन के पत्रावली
वाले नएक के डिमांडे 17/11/2020
को पेश हो।

17.11.2020 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/मुख्यालय
से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 18/11/2020
को पेश हो।

18.12.20 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/मुख्यालय
से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक...02.2021.
को पेश हो।

05.02.21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/मुख्यालय
से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 16.03.2021,
को पेश हो।

16.03.2021 पत्रावली पेशा वकील द्वारा एवं
द्वारा कार्य स्थगित रहा है वकील
दिनांक 25/3/2021 को पेश हो।

25.03.2021 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थना उपस्थित
वैस सुनी गई। पत्रावली का अवसोकन
क्रिया गया। प्रार्थना द्वारा एक प्र. पत्र
अंतर्गत धारा 212, राज. काबतकारी अधिनियम,
1955 पेश कर इस आशय का अनुसूच
चौदा गया है कि अग्रार्थी सं. 01 की कृषि भूमि
चक 3148, मु. नं. 33, कि. नं. 11 में बनी
पुलिया को स्वयं या किसी अन्य के
माध्यम से तोड़ने व ध्वस्त करने से
बाज, मन्नूर रहे तथा मौका एवं रिकॉर्ड
की सहायिका बनाए रखें। अग्रार्थी सं. 01
जसपाल सिंह द्वारा दिनांक 27.10.2020 को
अवाल प्र. पत्र पेश कर आहिर किया कि

ख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहम
की जो इस हुकम की
तामिल में जारी किये

प्रार्थिया का प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212 स्वीकार किया जाता है तां अप्रार्थी सं-01 को एतराज नहीं होगा। सहायक अन्निमंता, गंगनहर उपरबंड ॥ CA & पदपुर द्वारा एक प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रा. पत्र में दिये गये अंतरिम स्थगन से खाली के अप्लाइमेंट सीधा करने का कार्य पुत्रावित होगा, अतः यथास्थिति आदेश रवारिज किया जाये।

चूंकि अप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थिया के प्रा. पत्र पर एतराज जाहिर नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद नहीं है। किंतु यथास्थिति आदेश से सरकारी कार्य पुत्रावित होने की प्रबल संभावना है। अतः प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है। प्रार्थिया का प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212, राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 रवारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर दारिबल दफतर हो।

प्रिंका
उप जिला कलेक्टर
श्री विलसतगर